



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-931/JH/14/2023-APCR


दिनांक: 28/07/2023

श्री अंजनी अंजन
पुलिस अधीक्षक,
जिला - लातेहार,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
लातेहार, झारखंड 829206
Email Id: sp-lat@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के आदिवासियों को पुलिस हिरासत में रख कर उनके अधिकारों के हनन के संबंध में श्री परमेश्वर टाना भगत - लातेहार, झारखंड का दिनांक 09.12.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Parmeshwar Tana Bhagat से दिनांक 13/12/2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।


(एच.आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री परमेश्वर टाना भगत
अध्यक्ष,
अखिल भारतीय टाना भगत कमिटी
जिला - लातेहार, झारखण्ड
Mobile No:6203271475

NIC for uploading